हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने वार्षिक गीता जयंती महोत्सव के आयोजन और **भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने तथा प्रसारित** करने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने हेतु **'हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024' पारित किया।**

मुख्य बिंदु:

- महोत्सव के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। वर्तमान में, गीता जयंती महोत्सव के आयोजन के लिये राज्य में कोई स्वतंत्र प्राधिकरण/निकाय नहीं है।
- विधेयक के अनुसार, **प्राधिकरण का मुख्य कार्य** श्रीमद्भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना और प्रसारित करना होगा साथ ही **सांस्कृतिक व शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालाएँ, मेले, प्रदर्शनियाँ तथा सम्मेलन आयोजित करना होगा।**
- प्राधिकरण में सदस्य होंगे, जिनमें **अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री शामिल होंगे।** राज्य सरकार द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष होगा, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
- **गीता जयंती महोत्सव** वर्षों से मनाया जाता रहा है और **कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB)** इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है।
    - KDB पहले की तरह कार्य करेगा। लेकिन एक नई अथॉरिटी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेगी कि इस उत्सव को वैश्विक स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए और भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व तक कैसे पहुँचाया जाए।

गीता जयंती महोत्सव

- गीता महोत्सव का उत्सव लोगों में नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान लाता है।
- गीता जयंती का उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को **भगवद गीता** की अमर और अमूर्त विरासत- **दिव्य गीत** से अवगत कराना है।
- हरियाणा सरकार **वर्ष 1989 से** कुरुक्षेत्र शहर में KDB के सहयोग से गीता महोत्सव का उत्सव मना रही है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-antarrashtriya-gita-jayanti-mela-authority-bill-2024